संख्या – 11/2015/691/सत्रह-म-2015 11-1 –अ (4) / 2006

प्रेषक

क्षेत्रपाल
सयुक्त सचिव
उ0प्र0 शासन

सेवा में

निदेशक मत्स्य
उ0प्र0 लखनऊ

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ दिनांक 01 जून 2015

विषय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या– 17 लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन –आयोजनेत्तर 190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को सहायता योजनान्तर्गत वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बंध में

महोदय

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या – 24/ ले0शा0/ 2015-16 दिनांक 30-04-2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में 19 जनपदों में कार्यरत मत्स्य पालक विकास अभिकरणों के कार्मिकों को वेतन एवं अन्य आकस्मिक व्ययों हेतु अनुदान संख्या – 17 लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन- आयोजनेत्तर 190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को सहायता 01- केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं 0101- मत्स्य पालक विकास अभिकरणों को सहायता की मानक मद 20 – सहायता अनुदान सामान्य (गैरवेतन) के अन्तर्गत रू0 20 लाख एवं 31- सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) में प्राविधानित धनराशि अन्तर्गत रू0 500.00 लाख की धनराशि में से 20- सहायता अनुदान सामान्य (गैरवेतन) में रू0 10.00 लाख एवं 31- सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) में धनराशि रू0 459.407 लाख की कुल धनराशि रू0 469.407 (रू0 चार करोड उन्हत्तर लाख चालीस हजार सात सौ मात्र) उपलब्ध कराये गये निम्नलिखित जनपदवार फांट के अनुसार निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है

क्र0 सं0	मत्स्य पालक विकास अभिकरण / जनपद	20- सहायता अनुदान सामान्य (गैरवेतन)	31-सहायता अनुदान सामान्य (वेतन)
		वर्ष 2015 – 16 प्रथम किश्त के रूप में वित्तीय स्वीकृति	वर्ष 2015 – 16 में वित्तीय स्वीकृति

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।**
2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.nic.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

1	मत्स्य पालक विकास अभिकरण लखनऊ	41500	2690000
2	मत्स्य पालक विकास अभिकरण उन्नाव	71500	3357500
3	मत्स्य पालक विकास अभिकरण रायबेरली	99000	5022000
4	मत्स्य पालक विकास अभिकरण फैजाबाद	78800	2276000
5	मत्स्य पालक विकास अभिकरण गोण्डा	37400	2580000
6	मत्स्य पालक विकास अभिकरण सुल्तानपुर	69000	2448000
7	मत्स्य पालक विकास अभिकरण बाराबंकी	68600	1450000
8	मत्स्य पालक विकास अभिकरण इलाहाबाद	40000	2583400
9	मत्स्य पालक विकास अभिकरण प्रतापगढ	33500	1200000
10	मत्स्य पालक विकास अभिकरण गोरखपुर	42300	2779600
11	मत्स्य पालक विकास अभिकरण देवरिया	69400	3452600
12	मत्स्य पालक विकास अभिकरण आजमगढ	79500	2054800
13	मत्स्य पालक विकास अभिकरण बलिया	45000	2370000
14	मत्स्य पालक विकास अभिकरण वाराणसी	60000	707000
15	मत्स्य पालक विकास अभिकरण जौनपुर	38900	2198000
16	मत्स्य पालक विकास अभिकरण गाजीपुर	44000	2283000
17	मत्स्य पालक विकास अभिकरण मेरठ	30600	395000
18	मत्स्य पालक विकास अभिकरण बदायूं	23400	2472800
19	मत्स्य पालक विकास अभिकरण बस्ती	27600	3621000
	योग	1000000	45940700

(रू0 चार करोड उन्हत्तर लाख् चालीस हजार सात सौ मात्र)

(1) उपरोक्त स्वीकृति धनराशि का उपयोग पूर्व में निर्धारित नियमों/ शर्तो के अधीन किया जायेगा तथा धनराशि का आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर ही किया जाये। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय- समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) उपरोक्त स्वीकृति धनराशि को उल्लिखित विवरण के अनुसार सम्बंधित मत्स्य पालक विकास अभिकरणों को तत्काल आवंटित करते हुए उसकी प्रति शासन को उपलब्ध करायी जाय ।

(3) यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट)मात्र किसी प्रकार से व्यय करने का प्राधिकार नही देता है। उपरोक्त स्वीकृत धनराशि व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनूअल और फाइन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/ केन्द्र सरकार अथवा अन्य समक्ष अधिकारी को स्वीकृति की आवश्यकता हो उन मामलों में व्यय करने से पूर्व आवश्यक प्रस्ताव शासन को भेजकर ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय । किसी भी दशा में उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2015- 16 की नई मदों के क्रियान्वयन में न किया जाय ।

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.nic.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वीकृत धनराशि का आहरण वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग 1 के कार्यालय ज्ञाप 2/2015 /बी-1 925/दस -2015 दिनांक 30 मार्च 2015 में जारी निर्देशानुसार एकमुश्त न किया जाय। वित्तीय स्वीकृतियों में आवश्यकतानुसार धनराशि को कोषागारों से किश्तों में आहरण सम्बंधी आदेशों का समावेश सुनिश्चित किया जाय । उपरोक्त अनुदानों के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि का आवंटन एवं आवंटित /वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय के नियत्रंण के सम्बध में शासनादेश संख्या बी-1-1195/दस- 1694 दिनांक 6जून 1994 तथा वित्त विभाग द्वारा निर्गत कार्यालय ज्ञाप 2/2015 /बी-1 925/दस -2015 दिनांक 30 मार्च 2015 द्वारा निर्गत निर्देशों का कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

(2) उपरोक्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या -17 के अधीन लेखाशीर्षक2405 मछली पालन आयोजनेत्तर की योजना 190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को सहायता 01- केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएं 0101- मत्स्य पालक विकास अभिकरण को सहायता (जिला योजना) के075/रा025-के0रा0) की मानक मद 31- सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) 20- सहायता अनुदान -सामान्य (गैरवेतन) के सुसंगत इकाई के नामें डाला जायेगा ।

(3) यह आदेश वित्त (आय व्ययक) अनुभाग 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1685 / दस-1992 दिनांक 17-7-1992 में प्रदत्त अधिकारों तथा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0 2/2015 बी- 1- 925 /दस – 2015 दिनांक 30 मार्च 2015 के अनुसार जारी किये जा रहें है।

भवदीय

(क्षेत्रपाल)
संयुक्त सचिव

संख्या 11 /2015/**691**(1)/सत्रह-म-2015 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सुचनार्थ् एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद
3- सम्बधित कोषाधिकारी उ0प्र0।
4- वित्त एवं लेखाधिकारी मत्स्य निदेशालय।
5- वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-2 वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(क्षेत्रपाल)
संयुक्त सचिव।

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।**
2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.nic.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

http://shasnadesh.up.nic.com